न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस

1. अपील संख्या 203/2016

बलवंतसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड न. 11 गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ जरिये मुखत्यारआम बगडसिंह पुत्र बलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 11 गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ

—अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान।
2. बसंतसिंह पुत्र मलसिंह जाति मजहबी निवासी 2 जेएसएम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। कथित बलवंतसिंह पुत्र किशनसिंह मजहबी।

—रेस्पोडेन्टान

2. अपील सं. 204/2016

गुरूबख्शसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड न. 12 गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ जरिये मुखत्यारआम अंग्रेजसिंह पुत्र गुरूबख्श सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं.12 गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।

अपीलांट्स

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान ।
2. गोविन्दसिंह पुत्र मलसिंह जाति मजहबी निवासी 1 एम एल के तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर । कथित गुरबख्शसिंह पुत्र किशनसिंह जाति मजहबी ।

——रेस्पोडेन्टान

3. अपील सं.205/2016

बलविन्द्रसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति नाई सिख निवासी गुरूसर तहसील हनुमानगढ स्वयं व मुखत्यारआम महेन्द्रसिंह, जसकरणसिंह, बलकरणसिंह,

8/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

लखविन्द्रकौर पुत्र पुत्रियां गुरचरणसिंह, मलकीयतकौर पत्नी नक्षत्रसिंह, अंग्रेजसिंह, रणजीतसिंह, हरजीतसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह पुत्र गुरचरणसिंह, गुरलालसिंह , हरपालसिंह, बेअंतसिंह, जसपालसिंह पुत्र मखनसिंह पुत्र गुरचरणसिंह निवासीगण गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ।

–अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान।
2. मखनसिंह पुत्र अजमेरसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति मजहबी निवासी 2 एसटीवाई तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर । कथित पुत्र गुरचरणसिंह पुत्र बंतासिंह ।
3. सुखेन्द्रसिंह पुत्र अजमेरसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति मजहबी निवासी 2 एसटीआई तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
4. कथित पुत्र गुरचरणसिंह पुत्र बंतासिंह – **रेस्पोडेन्टान्**

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आयुक्त उपनिवेशन घडसाना मु.अनूपगढ
दिनांक क्रमशः 26.11.1974, 07.05.1974 व 21.05.1974

उपस्थितिः–

श्री कुलवंतसिंह अभिभाषक अपीलांट।
श्री इकबाल सिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता।
श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक रेस्पो. ।

निर्णय **दिनांक :– 08.09.2017**

तीनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपील संख्या 203/2016 में प्रार्थी बलवंतसिंह ने अधी.न्यायालय में चक 2 जे एम के मु.न. 182/ 24 की 24 बीघा भूमि के आवंटन का प्रा.पत्र पेश करने पर दिनांक 26. 11.1974 को उक्त भूमि का पुख्ता आवंटन किया गया है, अपील संख्या 204/2016 में प्रार्थी गुरूबख्शसिंह ने अधी.न्यायालय में चक 1 ए एम के मु.न.

8/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

49/ 53 की 25 बीघा भूमि के आवंटन का प्रा.पत्र पेश करने पर दिनांक 07.05.1974 को उक्त भूमि का पुख्ता आवंटन किया गया है, अपील संख्या 205/2016 में प्रार्थी गुरचरणसिंह ने अधी.न्यायालय में चक 2 एस एम के मु. न. 89/ 17 की 25 बीघा भूमि के आवंटन का प्रा.पत्र पेश करने पर दिनांक 21.05.1974 को उक्त भूमि का पुख्ता आवंटन किया गया है।

तीनों ही अपीलों में तथ्य एवं कानूनी बिन्दु एक समान होने से एवं उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से तीनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरोते हुए कथन किया कि रेस्पो. ने गलत तथ्य पेश कर विवादित भूमि का आवंटन कराया है। रेस्पो. द्वारा जो आवंटन हेतु प्रा.पत्र पेश किया है उसमें रेस्पो. ने अपनी फोटो लगा दी जबकि आवंटन हेतु प्रा.पत्र अपीलांट के पूर्वजों द्वारा पेश किये गये थे । अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एक तरफा तौर पर पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथा पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे अथवा इस भूमि के बदले में अन्य भूमि देने के आदेश दिये जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पो. को आरजी काश्त पर पर आवंटित थी एवं पुख्ता आवंटन का प्रा.पत्र पेश करने पर नियमानुसार पुख्ता आवंटन किया गया है। अपीलांट द्वारा अपीले मियाद बाहर पेश की है। इतने विलम्ब को माफ करने के कोई समुचित कारण नहीं हैं अतः मियाद के बिन्दु पर भी अपील खारिज करने योग्य है। अतः निवेदन है कि उक्त तीनों ही अपीलें खारिज की जावें ।

8/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज)

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

उपरोक्त तीनों अपीलें क्रमशः प्रकरण संख्या 203/2016 बलवंतसिंह बनाम स्टेट व बंसतसिंह प्रकरण संख्या 204/2016 गुरबख्ससिंह बनाम स्टेट प गोविन्दसिंह प्रकरण संख्या 205/2016 बलविन्द्रसिंहे बनाम स्टेट व मक्खनसिंह निर्णय दिनांक क्रमशः 26.11.74, 07.05.74 व दिनांक 21.05.75 के विरूद्ध पेश की । तीनों ही अपीलों की पटकथा Identical ही नहीं अपितु तीनों अपीलों के अपील मीमों को पढने से लगता है,तीनों अपीलों के रेस्पो. एक ही गिरोह के सदस्य हो तथा योजनापूर्वक तरीके से षडयन्त्र कर अपीलांटस की भूमि हडपने का आपराधिक कृत्य किया है अपीलांट अपीलांट का सार है तथा तीनों अपील मीमों में यह बताने का प्रयास किया गया है कि तीनों ही अपीलों के अपीलांटस के नाम राशि बनकर रेस्पो. ने अपने नाम Temperory allotment जो अपीलांट का था पुख्ता आवंटन रेस्पोडेन्टानस ने करवा लिया तथा आवंटन के 42 वर्ष बाद अपीलांटस को पता चला कि उनके नाम से रेस्पो. ने अपने फोटो लगाकर पुख्ता आवंटन करवा दिया। 42 वर्ष बाद रेस्पो. द्वारा किये तथाकथित आपराधिक कृत्य की F I R भी दर्ज करवाई जिनमें F R स्वीकृत हुई । तथा 42 वर्ष बार अपील पेश की है।

जैसा कि उपर अंकित किया कि अपील मीमों पटकथा है जिसका end तीनों अपीलों का निर्णय है।

अधी.न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन करने से यह रेकार्ड से साबित है कि तीनों ही अपीलांटस की जाति जटसिख तथा तीनों ही अपीलों के रेस्पोडेन्टस मजहबीसिख (अनुसूचित जाति) के सदस्य है तथा तीनों अपीलों की अधी.न्यायालय की पत्रावलियों के कुल 16 विवरणों के पृष्ठ है जो क्रमशः 1 सरबरक, 2 फर्दअहकाम, 3 द0 प्रार्थी, 4 श.पत्र, 5 प्रा.पत्र, 6 पट्टा, 7 स्टाम्प, 8 पट्टा, 9 श.पत्र, 10 द. प्रार्थी, 11 श. पत्र , 12 ज.नामा, 13 प्रा.पत्र, 14 इ. नामा, 15 श. पत्र, 16 रसीद सभी दस्तावेज रेस्पो. की जाति मजहबी सिख (अनुसूचित जाति) प्रमाणित करते है तथा आवंटन की पत्रावली पर उपलबध

8/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

फोटो भी रेस्पो. की होकर तहसीलदार द्वारा प्रमाणित है। उपरोक्त 16 विवरणी मिसल से भली–भांति साबित है कि रेस्पो. ही Temperory cultivaition holder होकर उन्हें ही पुख्ता आवंटन हुआ है के आवेदनों के समर्थन में शपथ –पत्र पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट चुनाव विभाग की वाटर लिस्ट से यह प्रमाणित है कि रेस्पो. ही सही आवंटी है, अपीलार्थीगण के कथनों के समर्थन में पत्रावलियों पर कोई न तो साक्ष्य है न दस्तावेज न कोई सबूत । अपीलांट के कथन मात्र कपोल कल्पना की उंची उडान ही है एवं अपीलांट्स द्वारा रेस्पो. द्वारा तथाकथित Fraud को भी अन्वेषण एजेन्सी से जॉच में झूठा पाया जो F I R में F R लगी तथा राजस्थान विधायिक की अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कृषि भूमियों के Protection हेतु बने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(ए) यह प्रतिबंधित करती है कि चाहे compromise decree हो या contest decree अनुसूचित जाति की कृषि भूमिया गैर अनुसूचित के नाम नहीं हो सकती के अलावा मियाद अधिनियम का चेप्टर 4 भी रेस्पो. को protect करता है कानूनन उनसे कब्जा नहीं लिया जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार मियाद के बिन्दु के साथ–साथ गुणावगुण के आधार पर भी उपरोक्त तीनों अपीलें खारिज की जाती है तथा अधी. न्यायालय के निर्णय यथावत रखे जाते है तथा अपीलांट्स द्वारा अन्त में यह अनुतोष चाहना कि रेस्पो.का आवंटन यथावत रखा जाता है तो उन्हें उनकी पात्रता अनुसार वैकल्पिक उपलब्ध कृषि भूमि का आवंटन किया जाये बाबत अपीलांट सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना Claim रखने के लिए स्वतन्त्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

क्र. भू0 न0 49 / 53 क 25